बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में गठित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 16(क) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 876 दिनांक 17.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त नियमावली के नियम 17(5) (ग) के अन्तर्गत श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जॉच प्राधिकार तथा श्री अरूण कुमार, नं0–1 अवर सचिव, श्रम पक्ष, श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आरोपित पदाधिकारी श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर के विरूद्ध पहला आरोप यह है कि उन्होंने लेबर लाईसेंस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह तथा श्री अमरजीत कुमार द्वारा समर्पित आवेदन को दिनांक 21.07.2015 को Seen किया जबकि दुकान की निरीक्षण की तिथि दिनांक 20.07.2015 है। यह तथ्य परस्पर विरोधाभाषी है तथा कर्त्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा के अभाव एवं कदाचार में संलिप्तता का द्योतक है। श्री प्रसाद के विरूद्ध दूसरा आरोप श्रम अधीक्षक, नालंदा के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को संधारित करने हेतु पंजी नहीं रखने एवं प्राप्ति रसीद नहीं दिये जाने से संबंधित है। श्री गणेश प्रसाद के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप श्री विनोद कुमार सिंह तथा श्री अमरजीत कुमार के परिवाद पत्र की जॉच के पश्चात गठित किया गया था।

3. श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित नहीं पाया है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री विनोद कुमार सिंह तथा अमरजीत कुमार द्वारा लेबर लाईसेंस हेतु आवेदन प्रत्र श्रम अधीक्षक के कार्यालय में पूर्व में दिया गया था लेकिन श्रम अधीक्षक द्वारा उन्हें बाद की तिथि में Seen किया गया। आवेदन Seen करने के पूर्व ही निरीक्षण करना तथा निरीक्षणोपरांत संक्षिप्त टिप्पणी के आधार पर लाईसेंस निर्गत करना दोषपूर्ण कार्य प्रणाली है। तदोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुये विभागीय पत्रांक 08 दिनांक 02.01.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में पहले आरोप के संबंध में यह उल्लेख किया है कि दुकान का निरीक्षण दिनांक 20.07.2015 को ही किया गया था तथा दिनांक 21.07.2015 को निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन पर लघु हस्ताक्षर होना मात्र एक मानवीय भूल है। दूसरे आरोप के संबंध में उन्होंने यह कहा है कि आवेदन प्राप्त होने के कुछ ही दिन पूर्व नालन्दा में उनका पदस्थापन हुआ था एवं वे कार्यालय की व्यवस्था से पूरी तरह अवगत नहीं थे। पूर्व प्रचलित प्रणाली के आधार पर ही कार्य किया जा रहा था। कार्यालय में परिलक्षित त्रुटियों का सुधार कर लिया गया है।

5. श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री गणेश प्रसाद को उनके कारणपृच्छा से सहमत होते हुये आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर को उनके विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के आरोपों से मुक्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नालंदा सम्प्रति श्रम अधीक्षक वैशाली–01, हाजीपुर को **निबंधित डाक** से उपलब्ध करायी जाए।

निबंधित

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव